IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

Hkkjr esa e/;kUg Hkkstu ;kstuk dh fLFkfr dk ,d 'kSf{kd v/;;u

Mk- jkelQy dkjh

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र), शास. महाविद्यालय बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

Mk- lkeorh vujkxh

विषय विशेषज्ञ, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

'kks/k lkjka'k %&

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 1994 में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसका उददेश्य प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चो को विद्यालय में बनाये रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। भारत मे प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा और कुपोषित बच्चो की बढती हुई संख्या को देखते हुए मध्यान्ह भोजन व्यवस्था लागू की गयी थी। देखा गया है कि मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बच्चो के नामाकनं और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रारम्भ में यह योजना केवल सरकारी स्कूलो में प्राथमिक कक्षाओं में ही प्रारम्भ की गई थी। 1997–1998 तक इसे देश के सभी प्रदेश और केन्द्रशासित राज्यों मे प्रारम्भ किया गया था। 2007 में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6, 7, 8 मे) भी शुरू कर दिया गया। किन्तु उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओ के अधिगम स्तर मे सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त नही हुए हैं। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से बच्चो को पोषण तो प्राप्त हुआ है किन्तु उनके शैक्षिक स्तर पर अपेक्षित नतीजे प्राप्त नही हो रहे हैं।

iLrkouk &

मध्याह् भोजन योजना या मिड डे मील स्कीम (एम.डी.एम.एस.) एक ऐसी पहल है जो पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक आयु समूहों के बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसे ″नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने तथा इसके साथ–साथ बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार पर ध्यान देने″ के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2000 में एम.डी.एम.एस. पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गई जिसके तहत ″प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 8–2 ग्राम प्रोटीन और ऊर्जा के न्यूनतम 300 कैलोरी अंश के साथ मध्याह्त भोजन दिया जा रहा था। जुलाई 2006 में इसे बढ़ाकर 450 कैलोरी और ।2 ग्राम प्रोटीन कर दिया गया।

राज्य सरकारों को चावल और गेहूँ जैसे अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा सब्सिडाइज दरों पर मुहैया कराया जाता है। दिए गए अनाज के अनुपूरक के रूप में निर्धारित मात्रा में दाल, सब्जियाँ, तेल और नमक दिया जाता है। इसके पीछे भावना यह है कि बच्चों को अच्छा सन्तुलित भोजन दिया जाए। कभी–कभी सरकार के अलावा स्थानीय पंचायत और किसान भी मध्याह्न भोजन के लिए खाद्य सामग्री देते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

यह पूरी योजना अच्छी तरह से संरचित है। प्रत्येक स्कूल में एक मुख्य रसोइया है और अगर बच्चों की संख्या अधिक हो तो एक सहायक रसोइया भी होता है। प्रधानाध्यापक प्रभारी सरकारी अधिकारी को माँगपत्र या इन्डेंट देते हैं और फिर वे आवश्यक सामग्री मुहैया कराते हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन और विटामिन भी दिए जाते हैं। एम.डी.एम. परियोजना को संयुक्त निदेशक, एम.डी.एम. द्वारा चलाया जाता है जिसमें उनके साथ लोक शिक्षण के उप–निदेशक की टीम भी होती है। सभी शैक्षिक कार्यकर्ता इस पहल का समर्थन करते हैं।

एम.डी.एम. के तीन पहलू हैं–सुरक्षा, पोषण और स्वाद। सरकार मानदण्ड निर्धारित करती है और पोषण वाले पहलू का ध्यान रखती है। अब सरकार सुरक्षा वाले पहलू पर ध्यान दे रही है। दुर्घटनाओं के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अगर स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो भोजन के प्रदूषित होने के कारण आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है। वाकई यह एक बहुत बड़ा काम है। अप्रिय घटनाओं की संख्या कम करनी हो तो उसके लिए बहुविध तरीके अपनाने होंगे।

मिड–डे मील आज के समय मे एक चिर परिचित योजना है। इस योजन की शुरूआत भारत मे 15 अगस्त, 1995 को स्वतंत्रता दिवस की 48वीं वर्षगाँठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन, या पोषाहार वितरण योजना, या पौष्टिक आहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना में विद्यालय में कक्षा 8 तक के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जाता है जिससे वे विद्यालय में आने के लिए प्रेरित हों सकें। इस योजना का लक्ष्य सरकारी प्राथमिक स्कूल मे पढने वाले बच्चो को पोषण युक्त भोजन और उनके माता–पिता को बच्चो को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था और अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयो (जहॉ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है) लागू किया गया। अपने पहले पडाव में इस योजना को 2408 ब्लॉको से शुरू किया गया। योजना के अन्तगर्त छात्रो को प्रति माह 03 किलो ग्राम गेहूँ अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थीं किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रो को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रों को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था, इससे छात्र को वॉछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा मे प्राप्त होते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 28 नवम्बर 2001 को निर्देश दिए गये कि प्रदेश के विधालयों में पका भोजन प्रदान किया जाये सितम्बर 2004 से सभी विधालयों में पका भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू कर दी। सितम्बर 2004 को कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा को बढाकर 450 और 12 ग्राम कर दिया गया। उसके बाद इसको कक्षा 8 अर्थात उच्च प्राथमिक विधालयों में क्रियान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो सरकारी प्राथमिक विधालयों मे पढता है, उसको 300 कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिड–डे मील योजना के तहत भोजन मे मिलना चाहिए। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर 2007 से इसे पिछडे ब्लॉको के विधालयो मे तथा अप्रैल 2008 मे शेष ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्रो मे स्थित उच्च प्राथमिक विधालयों तक विस्तारित कर दिया गया है।

e/;kUg Hkkstu ;kstuk dh fLFkfr &

ऐसे क्षेत्र जहॉ भूख सर्वोच्च है, वे लोग जो दिन भर अपना पेट भरने का जुगाड ढूंढते है। उन क्षेत्रों के लिए मिड–डे मील योजना एक वरदान साबित हुई है। जो अपने बच्चों को भी पेट भरने बाले दिहाड़ी कार्यों में लगा दिया करते थे। आजकल वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। इस अपेक्षा में की कम से कम एक समय का खाना तो स्कूल में मिलेगा। क्योंकि मिड–डे मील योजना के अन्दर एक प्रावधान है कि जिस बच्चे की उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी वही अगले साल इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होगा। इस कारण भी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगे हैं। मिड–डे मील

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

योजना से लडकियों की उपस्थिति और साझेदारी भी बढी है। पहले ग्रामीण इलाको और आदिवासी इलाको मे लडकियों को बहुत कम या इन्हे स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। लेकिन मिड–डे मील के संचालन के बाद माता पिता लडकियों को भी स्कूल भेजने लगे हैं तथा उनकी उपस्थिति मे भी बढोतरी हुइ है। स्कूल में पढने वाले बच्चों में समान लिंगानुपात को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि अब लडकियॉ भी स्कूल आने लगी हैं। अब स्कूलों में लडके और लडकियों की संख्या में कोई अधिक अंतर नहीं रह गया है।

e/;kUg Hkkstu ;kstuk d Qk;ns&

मिड–डे मील योजना अपने उददेश्य में कामयाब होती दिख रही है। योजना पर हुए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अध्ययन मे बच्चों ने कहा कि खाना मिलने से उनका पढाई मे मन लगता है। अध्ययन मे सामने आया कि खाने का स्वाद 87 फीसदी बच्चों को पंसद आ रहा है। ग्रामीण इलाको में कुछ बच्चे स्कूल जाते समय रोते चिल्लाते हैं, लेकिन भोजन के लालच मे वे अब बिना चीखे चिल्लाये आराम से स्कूल जाने लगे हैं। वे बच्चे जिन्हें गरीबी के कारण धर में भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। उनका बौद्विक और शारीरिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा था। अब उनको स्कूल में भरपेट भोजन मिल जताा है। मिड–डे मील से सामाजिक सद्भावना को प्रोसाहन मिला है, क्योंकि स्कूल मे पढने वाले सारे बच्चे चाहे वे किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ या जाति के हो सबको एक साथ भोजन करना पडता है। जिससे सामाजिक समानता को प्रोत्साहन लिता है। ऐसे गरीब लोग जो अपने बच्चों को खाना खिलाने में असमर्थ थे वो चुपचाप अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि बच्चों को एक समय का खाना तो मिलेगा। इस योजना के कारण बच्चों में बहुत सारी अच्छी आदतों जैसे–खाना खाने से पहले हाथ धोना, प्लेट खुद साफ करना, खाने के बाद स्वच्छ पानी पीना आदि का विकास होता है।

वर्ष 2017–18 मे 20 राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशो के 70 जिलो में किये गए अध्ययन के आधार पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। इसमे 72 प्रतिशत बच्चों का कहना है कि मिड–डे मील की वजह से कक्षा मे पढाई को लेकर उनकी एकाग्रता बढी है। गौरतलब है कि मिड–डे मील योजना बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने और बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के उददेश्य के तहत शुरू की गई थी संस्थान ने इसकी ड्राफ्ट रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौप दी है। वही, फाइल रिपोर्ट जल्द तैयार हो जाने की उम्मीद है। भारत म ं मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति का एक शैक्षिक अध्ययन स्कूल जा रहे 92 प्रतिशत बच्चों को मिड–डे मील मिल रहा है। मिड–डे मील योजना स्कूल में उपस्थिति बढाने के अपने मुख्य लक्ष्य में भी काफी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। अध्ययन के दौरान 92 प्रतिशत शिक्षको और 80 प्रतिशत माता पिता ने माना कि मिड–डे मील की वजह से स्कूल मे नामांकन और उपस्थिति बढी है।

देश भर में राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों में मिड–डे मील योजना के अन्तरगत 25.70 लाख रसोइयो–सहायकों को काम दिया गया। इन सहायकों को इस कार्य के लिए मानदेय को संशोधित कर 1 दिसमबर, 2009 से एक हजार रूपये प्रति माह कर दिया गया तथा साल मे कम से कम दस महीने का काम दिया। इस कार्य के लिए रसोईया–सहायको को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यो के बीच 90:10 के औसत मे उठाया गया, जब कि अन्य राज्यो व केन्द्रशासित प्रदेशो तथा केन्द्र के बीच यह औसत 60:40 तय किया गया। यद्यपि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों को कहा गया कि चाहे तो इस कार्य के दिए जाने वाले खर्च मे योगदान निर्धारित अनुपात से अधिक भी कर सकते हैं। तदानुसार केन्द्र की हिस्सेदारी और राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों की न्यूनतम हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के लिए इस प्रकार हैः–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

स्तर	प्रति भोजन कुल लागत		01 जुलाई 2016 प्रति बालक, प्रति स्कूल खाना बनाने के खर्च की संशोधित दरे गैर पूर्वोत्तर राज्य (60 : 40)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	राज्य
प्राथमिक	4.13 रुपये	2.48 रुपये	1.65 रुपये	3.72 रुपये	0.41 रुपये
उच्च प्राथमिक	6.18 रुपये	3.71 रुपये	2.47 रुपये	5.56 रुपये	0.62 रुपये

भोजन पकाने की लागत में दाले, सब्जियां, भोजन पकाने के तेल और मिर्च–मसाले, ईधन आदि की लागत शामिल है।

इस स्कीम का लक्ष्य भारत के अधिकाशं बच्चो की समस्याओ जैसे–भूख, शिक्षा और स्कूल उपस्थिति का समाधान करना है। लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चो को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सहायता करना है। ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल–पीडित क्षेत्रो मे प्रारंभिक स्तर के बच्चो को पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना :–

- कक्षा के अर्न्तगत भूख को शान्त करना।
- स्कूल नांमाकन मे बढावा।
- स्कूलो मे उपस्थिति मे बढावा।
- जातियो के बीच समाजिकरण मे सुधार।
- कुपोषण का पता लगाने के लिए।
- रोजगार के माध्यम से महिलाओ को सशक्त बनाना।

मध्याहन भोजन योजन स्कूल मे भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बडी योजना है जिसमे रोजाना सरकारी सहायता प्राप्त 11.58 लाख से भी अधिक स्कूलो के 10.8 करोड बच्चे शामिल है। 96 फीसदी शिक्षको और 80 फीसदी माता–पिता ने माना कि मिड–डे मील ने बच्चो के पोषण स्तर मे इजाफा किया है। हालांकि दोबारा मागने पर 58 फीसदी बच्चो को ही खाना मिलता है।

अक्षय पात्र फाउडेशन एक गैर सरकारी संस्था है, जो सात राज्यो के 6500 स्कूलों में लगभग 12 लाख स्कूली छात्रों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। इस संस्था का नाम दिसंबर 2009 मे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स मे दर्ज किया गया। सरकार की तरह से गरीब बच्चों को भोजन देने वाली यह सबसे बडी संस्था है। कर्नाटक से वर्ष 2000 में शुरू हुई यह योजना अनेक प्रदेशों के ग्रामीन क्षेत्रों के स्कूलों को भोजन उपलब्ध करा रही है। मंदिरों, उद्यमियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इसके लिए दान आता है। अक्षय पात्र मे क्षेत्रीय स्वाद और विभिन्न कारकों को ध्यान मे रखते हुए मेनू को डिजाइन किया गया और इसे कार्यान्वित किया गया है। मेनू विविधता के आधार पर मौसमी सब्जियॉ और स्थानिय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है।

12.56 लाख स्कूलो मे चलाई जा रही मिड–डे मील योजना मौजूदा समय मे 12 करोड़ से अधिक भारतीय बच्चो के इस योजना से लाभान्वित होने का अनुमान है, जिसमे 2.89 रुपये प्राइमरी और 4.33 रुपये उच्च प्राथमिक स्तर के प्रति बच्चे को मिलता है। इस योजना के लिए 2018 के बजट मे 10500 करोड रुपये आवंटन किया गया ।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

मिड–डे मील से स्कूल मे बच्चो की उपस्थिति तो सुधरी है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कैग ने 2016 की जॉच मे पाया कि अधिकतर विधालयों में रसोईधर, शैडों, बर्तन और पेयजल सुविधा की कमी है। दूषित भोजन से कई बार बच्चों के बीमार होने की धटनाएं यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में सामने आई हैं। सरकार मिड–डे मील पर 6 से 9 रुपये प्रति छात्र खर्च करती है मगर भोजन की गुणवत्ता को लेकर पंचायत और स्कूल प्रबंधक लापरवाह है। 19 नवंबर 2017 को पश्चिमी बंगाल के एक गॉव मे मिड–डे मील में मरी छिपकली निकली थी। ऐसे दूषित खाने को खा कर 87 बच्चे बीमार हो गये, जिन्हें अस्पताल मे भर्ती कराना पडा। उत्तर के कई स्कूलों में बच्चों से खाना बनवाने की शिकायतें सामने आई।

dfe;k&विद्यालय में भोजन व्यवस्था से बच्चों की पढाई पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। बालक स्वच्छता में अपेक्षित प्रगति देखने को नहीं आई। बच्चों की पढाई का स्तर निम्न है। सफाई के मानकों का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। भोजन विधालय मेनू के अनूसार नहीं है। जो सब्जी सस्ती होती है उसे ज्यादा बनाया जाता है। वस्तुए गुणवत्ता पूर्ण नहीं है।

fu'd'k&

l>ko&अधिकॉश शिक्षकों ने कहा मध्यान्ह भोजन व्यवस्था करने मे ही अधिकांश समय निकल जाता है जिस कारण बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाते हैं। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को छोड कर अलग से कर्मचारी लगाने चाहिए। ज्यादातर गंदी जगहों पर रखे गले–सडें और फफंद लगे अनाज व दालों, पुराने तेल आदि का इस्तेमाल होता है। बच्चों को मिलने वाला भोजन पकाने से पहले अच्छे से भारत में मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति का एक शैक्षिक अध्ययन साफ कर लेना चाहिए तथा सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

मिड–डे–मील योजना से लाभान्वित होने बाले अधिकांश बच्चे समाज के वंचित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, अनेक आंगनबाडी कर्मचारी और अधिकारी निर्धारित मानदण्डों के विपरीत बच्चो को घटिया भोजन परोसकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे है। **eudk xk/kh** के अनुसार, आंगनबाडियों में बच्चों को पौष्टिक आहार की बजाय कूडा परोसर जा रहा है। आंगनबाडियों के औचक निरीक्षण के दौरान वहाँ पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भयावह हद तक क्षराब पाई गई। अतएव सरकार, प्रशासन, विद्यालय प्रबन्धन, समाजसेवी संस्थओं और शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे इसकी उचित व्यवस्था में सहयोग करें और इस योजना का सही लाभ छात्रों तक पहुँचाएँ जिससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य शीध्रतिशीध्र प्राप्त किया जा सके।

lUnHk xzUFk lph&

- पाण्डेय, रामशकल, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, 2012
- पचौरी, गिरीश, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, 2012
- लाल, बिहारी, रमन, भारत में माध्यमिक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, 2012
- ओसवानी, एस० आर० : न्यूट्रीशियन एंव पार्वटी, न्यू देहली, आक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस इन इण्डिया, 2000.
- एस.एम.सहगल फाउंडेशन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) 2015

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

- कुमार, गजेन्द्र : खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरूक्षेत्र, वॉल्यूम न0 58, अंक 5, मार्च 2012
- सिंह, वीरेन्द्र : खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ एव निदान, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र वॉल्यूम न0 60, अंक 1 नवम्बर 2013,